

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

### 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-07

#### सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प				अनुरोध	अभ्युक्ति
1	मोहन लाल	देहरादून	हरिद्वार	13 वर्ष 08 माह 29 दिन	32 वर्ष 02 माह 05 दिन	1	यथावत	6	—	इनके द्वारा हृदय रोग से ग्रसित होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिनांक फरवरी, 2024 में निर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
2	सईद अहमद	हरिद्वार	रूड़की	03 वर्ष 07 माह 01 दिन	30 वर्ष 01 माह 12 दिन	1	—	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा दिनांक 15.04.2025 से उत्तराखण्ड फैंडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन, जनपद शाखा हरिद्वार के जिलाध्यक्ष के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार प्रदेश/जनपद के अध्यक्ष एवं सचिवों को स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपने एवं अपनी माताजी एवं स्वयं की बीमारी से ग्रस्त होने के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रमाण प्रस्तुत करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
3	सुषमा चौधरी	नैनीताल	रूद्रपुर	09 वर्ष 05 माह 01 दिन	30 वर्ष 21 दिन	1	यथावत	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये उत्तराखण्ड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार प्रदेश/जनपद के अध्यक्ष एवं सचिवों को स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया	दिनांक 22.04.2025 से उत्तराखण्ड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ में प्रदेश अध्यक्ष।
						2		7	—		
						3		8	—		
						4		9	—		
						5		10	—		

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति
									है।	
4	मुकुल मंगगाई	देहरादून	देहरादून	01 वर्ष 06 माह 07 दिन	22 वर्ष 03 माह 13 दिन	1	देहरादून	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी माताजी वर्ष 2022 से मानसिक रोग से ग्रसित है जिस कारण उनको समय-समय पर अस्पताल ले जाना पड़ता है एवं निरन्तर उनका ध्यान रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा मई 2025 को निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।
						2	ऋषिकेश	7	—	
						3	विकासनगर	8	—	
						4	हरिद्वार	9	—	
						5	रूड़की	10	—	
5	उपदेश मझखोला	पौड़ी	देहरादून	01 वर्ष 01 माह 10 दिन	20 वर्ष 11 माह 12 दिन	1	यथावत	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी माताजी विगत कुछ समय से एल्जाईमर रोग से पीडित है जिस कारण उनका समय-समय पर अस्पताल ले जाना पड़ता है एवं निरन्तर उनका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही प्रार्थी स्वयं भी 03 वर्षों से उच्च रक्तचाप एवं मधुमेय के रोग एवं जून 2024 से Lumber spondylosis की समस्या से ग्रसित है। इस अतिरिक्त उनके द्वारा अपनी माताजी की बीमारी सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र की कार्यवाही गतिमान होने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।
						2	—	7	—	
						3	—	8	—	
						4	—	9	—	
						5	—	10	—	
6	मनोज नेगी	टिहरी	हरिद्वार	01 वर्ष 11 माह 11 दिन	19 वर्ष 06 माह 26 दिन	1	ऋषिकेश	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे हृदय रोग से ग्रस्त है एवं हृदय में एक स्टंट डाला है, जिसका उपचार जौलीग्रान्ट अस्पताल से नियमित रूप से चल रहा है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा मई 2024 को निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।
						2	—	7	—	
						3	—	8	—	
						4	—	9	—	
						5	—	10	—	

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प				अनुरोध	अभ्युक्ति
						1	—	6	—		
7	रूपेश गढवाली	पौड़ी	ऋषिकेश	06 माह	16 वर्ष 11 माह 02 दिन	2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

**3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**

1- दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-01

**दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)**

क्र०सं०	नाम सुश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
						1	6	—			
1	लक्ष्मी कश्यप	कानपुर	अल्मोडा	03 वर्ष 03 माह 13 दिन	03 वर्ष 03 माह 13 दिन	2	हल्द्वानी	7	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी नियुक्ति पति के आकस्मिक निधन पर मृतक आश्रित कोटे में होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 13(6) में विहित व्यवस्थानुसार हल्द्वानी कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		

पात्रता सूची में न आने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के प्राप्त अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	मंगनी हयोंकी	पिथौरागढ़	रामनगर	09 वर्ष 05 माह 01 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे स्पोण्डिलाइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, जिसका उपचार हल्द्वानी सेन्टर से चल रहा है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल द्वारा मई 2025 को प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हल्द्वानी कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	